

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 26/02/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जॉच	115.306

कुल आवंटित राशि -

रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख तीस हजार छः सौ मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट उपबंध रु. 10065.06 लाख (एक सौ करोड़ पैंसठ लाख छः हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

25/02/21

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 269

रॉची, दिनांक :- 26/02/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/दुमका/चाईबासा/सरायकेला/मेदिनीनगर/हजारीबाग/कोडरमा/खूँटी/रामगढ़/गुमला/गोड्डा/चतरा/सिमडेगा/लातेहार/लोहरदगा/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 269

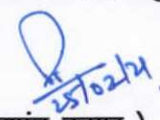
रॉची, दिनांक :- 26/02/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल
लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉब

पत्रांक 269 दिनांक 26/12/21 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2020-2021	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं मजदूरी			विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां			विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय			कुल योग	अभियुक्ति
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रभार					
1	2	विपत्र कोड	50S2702020060 10101	50S2702020005 010110	50S270202000 5010112	50S2702020005 010213	50S2702020005 010315	50S270202000 5010316	50S270202000 5010323	50S270202000 5010333	50S2702020005 010334	50S2702020005 010337	50S2702020005 010442	50S2702020005 010760	16	17		
1	लघु सिंचाई अंचल, दुमका	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	1.000	0.400	0.000	0.000	0.100	0.200	0.000	0.500	0.000	122.200				
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.700	0.200	1.500				
	कुल आवंटन	120.000	0.000	0.000	1.000	0.900	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	1.200	0.200	123.700				
2	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल-पैथी	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.100	0.150	0.000	0.500	0.100	300.300				
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.400	0.000	0.900				
	कुल आवंटन	299.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.200	0.200	0.150	0.000	0.900	0.100	301.200				
3	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.000	0.100	0.050	0.300	0.300	0.600	0.100	270.200				
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.400	0.000	0.950				
	कुल आवंटन	268.000	0.000	0.000	0.200	0.850	0.000	0.100	0.050	0.550	0.300	1.000	0.100	271.150				
4	लघु सिंचाई प्रमंडल-गोड्डा	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.375	0.000	0.300	0.000	233.175				
	अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.620	0.200	0.000	0.000	0.000	0.250	0.700	31.920				
	कुल आवंटन	262.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.620	0.200	0.050	0.375	0.000	0.550	0.700	265.095				
5	लघु सिंचाई प्रमंडल-धनबाद	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.175	0.000	0.300	0.070	197.045				
	अतिरिक्त आवंटन	39.000	0.000	0.000	0.400	0.300	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.600	0.500	41.050				
	कुल आवंटन	235.000	0.000	0.000	0.600	0.550	0.000	0.200	0.100	0.175	0.000	0.900	0.570	238.095				
6	लघु सिंचाई प्रमंडल-बोकारो	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.200	0.000	0.300	0.000	248.000				
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.136	0.250	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	2.986				
	कुल आवंटन	247.000	0.000	0.000	0.200	0.250	2.136	0.250	0.050	0.200	0.000	0.900	0.000	250.986				
7	लघु सिंचाई प्रमंडल, भोदिनीनगर	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.050	0.600	0.450	2.160	0.200	0.100	0.500	0.000	0.700	0.300	201.060				
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.050	0.000	0.200	0.000	0.200	0.100	0.500	0.000	0.600	0.000	0.900				
	कुल आवंटन	196.000	0.000	0.050	0.600	0.650	2.160	0.200	0.200	1.000	0.000	1.300	0.300	201.960				
8	लघु सिंचाई प्रमंडल-लोहरदगा	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.200	0.200	0.150	0.200	0.200	0.900	0.200	152.170				
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200				
	कुल आवंटन	149.420	0.000	0.000	0.200	0.700	0.200	0.200	0.150	0.200	0.200	0.900	0.200	152.370				
9	लघु सिंचाई प्रमंडल-सरायकेला	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.150	0.000	0.300	0.000	270.950				
	अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.790	0.250	0.100	0.000	0.000	0.400	0.200	31.940				
	कुल आवंटन	300.000	0.000	0.000	0.400	0.250	0.790	0.250	0.150	0.150	0.000	0.700	0.200	302.890				

(संजय प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-2021				विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें				विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विशि प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10	लघु सिचाई प्रमंडल-हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	239.000 0.000 239.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.350 0.400 0.750	0.000 0.000 0.000	0.000 0.300 0.300	0.100 0.050 0.150	0.325 0.000 0.325	0.000 0.000 0.000	0.500 0.900 1.400	0.100 0.000 0.100	240.575 1.650 242.225				
11	लघु सिचाई प्रमंडल-हुसैनबाद	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	191.380 0.000 191.380	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.300 0.000 0.300	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.000 0.810 0.810	192.480 0.810 193.290				
12	लघु सिचाई रूपकण प्रमंडल-दुमका, शिशिर देवघर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	224.000 0.000 224.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.050 0.000 0.050	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.000 0.500 0.500	225.050 0.500 225.550				
	अतिरिक्त आवंटन का योग		99.000	0.000	0.000	0.600	2.250	3.546	1.400	0.500	0.250	0.000	4.850	2.910	115.306				

नोट 1: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख तीस हजार छः सौ मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव